राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5970/2024

1. परमेश्वर सिंह पुत्र आईदान सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्राम किशनासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान।
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, ग्राम कोटवादताल, जिला चूरू, राजस्थान।
3. गुलजार खान पुत्र ताजू खान, उम्र लगभग 37 वर्ष, वार्ड नंबर 3, बल्लार, दंतौर, जिला बीकानेर, राजस्थान।
4. सुरेश कुमार पुत्र लाल राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, वार्ड नंबर 2, कुमारों का मौहल्ला, मोतीगढ़, जिला बीकानेर, राजस्थान।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. जिला परिषद बीकानेर, अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीकानेर, राजस्थान के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री सुशील सोलंकी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मनीष पटेल, एएजी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>15/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यूडीसी/वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए प्रतिवादियों द्वारा जारी दिनांक 31.07.2023 की वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक 4) से उत्पन्न हुई है। उनका आरोप है कि वरिष्ठता योग्यता के बजाय ज्वाइनिंग तिथि के अनुसार निर्धारित की गई थी, जो स्वीकार्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है

कि उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज कीं, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा उन पर विचार नहीं किया गया।

2. मामले के सुसंगत तथ्य यह हैं कि 01.07.2020 को योग्यता के अनुसार अनंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी। हालाँकि, उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग तिथि के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 31.07.2023 की अंतिम वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक 3) जारी की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियाँ उठाईं, जिन पर प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया है। इसलिए यह याचिका।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में प्रस्तावित वरिष्ठता सूची पर अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत की थीं। लेकिन उस पर कोई आदेश पारित किए बिना या याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की गई है।

5. इस स्तर पर, इस न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस स्तर पर वरिष्ठता सूची के संबंध में याचिकाकर्ताओं की लंबित आपत्तियों पर कानून के अनुसार औपचारिक प्रशासनिक आदेश पारित किए जाएंगे।

6. इस आधार पर, रिट याचिका का निपटारा इस उम्मीद के साथ किया जाता है कि उपरोक्त प्रशासनिक आदेश यथासंभव शीघ्र पारित किया जाएगा।

7. प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के लंबित अभ्यावेदन/आपत्ति पर नए प्रशासनिक आदेश पारित करने के बाद, यदि कोई हो, ऐसे सुधारों के अधीन अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने की स्वतंत्रता है।

8. याचिकाकर्ताओं को सलाह दिए जाने पर पूरक अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।